न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
297 / 2024	18.06.2024	03.07.2024

उनवान

1. बालु भाट पुत्र स्व0 धन्ना जी भाट उम्र वयस्क निवासी छीपों का आकोला तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. जमनालाल जाट पुत्र स्व0 श्रीकिशन जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. मदन लाल पिता स्व0 श्रीकिशन जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. गोपाल लाल जाट पुत्र स्व0 श्रीकिशन जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. रतनलाल जाट पुत्र स्व0 श्रीकिशन जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
5. हीरालाल पुत्र स्व0 छीतर जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मण जाट पुत्र स्व0 मांगीलाल जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
7. बाबूलाल जाट पिता स्व0 मगना जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
8. कन्हैयालाल जाट पिता स्व0 बद्रीलाल जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
9. लाडू जाट पत्नी स्व0 ब्रदीलाल जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
10. रामेश्वर लाल जाट पिता स्व0 ब्रदीलाल जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
11. भैरूलाल जाट पिता स्व0 रामलाल जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
12. उदयलाल जाट पिता स्व0 ज्वारा जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
13. लादूलाल जाट पिता स्व0 हजारी जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

14. सांवरमल जाट पिता स्व0 बद्रीलाल जी जाट उम्र वयस्क निवासी होलीरड़ा तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
15. जगदीशचन्द्र दर्जी पिता स्व0 पृथ्वीराज जी दर्जी उम्र वयस्क निवासी छीपों का आकोला तह0 कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी कैलाश आगाल
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आकोला प0ह0 आकोला भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आकोला तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 450 की अभिलिखित आराजियात 2906, 2907, 2908 कुल किता 03 कुल रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा या 1.0521 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 15 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी